XII 2013-14 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

30 जून 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के आकार में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। विदेशी मुद्रा आस्तियों में विस्तार होना इसका मुख्य कारण है जिनमें लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 में सकल आय ₹646.17 बिलियन थी जो कि 2012-13 की तुलना में 13.10 प्रतिशत कम थी, जबकि कुल व्यय 4.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹119.34 बिलियन रहा जो पिछले वर्ष ₹125.49 बिलियन था। वर्ष की समाप्ति ₹ 526.79 बिलियन के समग्र अधिशेष के साथ हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.75 प्रतिशत कम है। संपूर्ण अधिशेष सरकार को अंतरित कर दिया गया जो रिज़र्व बैंक द्वारा अब तक किया गया सबसे बड़ा अंतरण है।

XII.1 रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र से मोटे तौर पर इसकी उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ ही साथ मौद्रिक और आरक्षित निधि की प्रबंधन नीति के उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। बृहद स्तर पर तुलनात्मकता और पारदर्शिता लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक अपने वित्तीय विवरणों में क्रमिक रूप से और अधिक खुलासे की ओर बढ़ रहा है। तदनुसार, वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणामों के साथ ही महत्वपूर्ण लेखापद्धति संबंधी नीतियों के लेखे और विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

XII.2 2013-14 के दौरान तुलन पत्र के समग्र आकार में ₹2,337 बिलियन अर्थात् 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹ 23,907 बिलियन था जो 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार बढ़कर ₹26,244 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में बढ़ोतरी का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में बढ़ोतरी होना रहा क्योंकि रिज़र्व बैंक अपनी एफसीए जिन अन्य प्रमुख मुद्राओं में रखता है उनकी तुलना में यूएस डालर का अवमूल्यन हुआ और यूएस डालर की तुलना में रुपए का अवमूल्यन होने के कारण हुए समायोजन के चलते आस्ति पक्ष में स्वर्ण भंडारों की कीमत में गिरावट होना रहा। देयताओं की ओर वृद्धि होने का मुख्य कारण परिचालनगत मुद्रा में वृद्धि होना और मुद्रा तथा स्वर्ण पुनःमूल्यांकन खाते (सीजीआरए) में बढ़ोतरी होना रहा। वर्ष के अंत में, घरेलू आस्तियां कुल आस्तियों की 33.0 प्रतिशत रहीं जबकि शेष 67.0 प्रतिशत विदेशी आस्तियां रहीं, जबकि 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार ये क्रमशः 36.2 प्रतिशत और 63.8 प्रतिशत थीं।

XII.3 तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि के विवरण के प्रस्तुतीकरण के तरीके की समीक्षा करने के लिए 2012-13 में एक तकनीकी समिति गठित की गई थी [(अध्यक्षः श्री वाई.एच.मालेगाम (तकनीकी समिति I)] इस समिति ने यह पाया कि आरक्षित निधियों, प्रावधानीकरण और लेखांकन के मानदंडों के संबंध में मौजूदा नीतियों की विस्तार में जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके अनुसरण में 2013-14 के दौरान एक अन्य तकनीकी समित [अध्यक्षः वाई.एच. मालेगाम (तकनीकी समिति II)] गठित की गई ताकि आंतरिक आरक्षित निधियों और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिशेष वितरण नीति के स्तर और उसकी पर्याप्तता की समीक्षा की जा सके। विस्तृत अध्ययनों के आधार पर, तकनीकी समिति II ने यह सिफारिश किया कि चूंकि आकस्मिक आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) में आवश्यक बफर की तुलना में अधिशेष है अतः, सीआर और एडीआर में आगे कोई अंतरण करने की अवश्यकता नहीं है। अतः इस वर्ष सीआर और एडीआर में कोई अंतरण नहीं किया गया और समस्त अधिशेष ₹526.79 बिलियन केंद्र सरकार को अंतरित कर दिया गया, जो रिज़र्व बैंक द्वारा अब तक अंतरित किया गया सबसे बड़ी अधिशेष राशि है। तकनीकी समिति-I ने रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र और लाभ तथा हानि के लेखों के प्रारूप और घटकों के संबंध में कई सिफारिशें की थी। इन सिफारिशों में, तुलन-पत्र की मदों को रिपोर्ट करने की विधियों, निर्गम और बैंकिंग विभागों दोनों के लिए एक ही तुलन-पत्र बनाने, तुलन-पत्र के प्रत्येक शीर्ष को एक ही पंक्ति में दर्शाना (तुलन-पत्र में केवल कुछ मदों की विस्तृत रिपोर्टिंग करना, जबकि अन्य मदों के घटकों को लेखा खाते के अध्याय में विश्लेषित करने की मौजूदा प्रथा के बजाय), और उसे विस्तृत अनुसूचियों में दर्शाना, कुछ मदों का पुनः वर्गीकरण और समूहन करना शामिल

था ताकि, वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण मदों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2014-15 से लागू करने के लिए इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तुलन-पत्रों का एकीकरण केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना पर निर्भर है, इस मुद्दे को केंद्र सरकार के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। लाभ और हानि लेखा के प्रारूप में संशोधन के लिए यह आवश्यक होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 के नियम 22 में संशोधन किया जाए। अतः, संशोधित तुलन-पत्र को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद और संशोधित नियमों को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने तथा केंद्र सरकार द्वारा उन्हें अधिसूचित किए जाने के बाद वर्ष 2014-15 में इन्हें लागू कर दिया जाएगा।

XII.4 तकनीकी समिति-II की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं, (क) रुपए में अंकित प्रतिभूतियों का पुनःमूल्यांकन करने की विधि को लेखा और बाजार मूल्य में जो भी कम हो (एलओबीओएम) से परिवर्तित करते हुए उनका उचित मूल्यांकन करना और (ख) विदेशी विनिमय वायदा करारों को लेखों में शामिल करना। सिफारिशों में विविध प्रकार के जोखिमों और भविष्य में रुपए की विनिमय कीमत में वृद्धि होने, भविष्य में स्वर्ण के बाजार मूल्यों तथा विदेशी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश की बाजार कीमत में कमी आने, परिचालनगत एवं प्रणालीगत जोखिमों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का सामना करने के लिए अपेक्षित बफर बनाने, आगे पूंजीगत व्यय करने तथा अनुषंगियों एवं सहायक उद्यमों में निवेश करने के लिए अपेक्षित बफर बनाने पर भी प्रकाश डाला गया है। सरकार को अधिशेष अंतरित करने के लिए अपनायी जाने वाली पद्धति की रूपरेखा भी सिफारिशों में शामिल की गई है।

XII.5 वर्ष 2013-14 के लिए तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि खाता नीचे दिए जा रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2014 का तुलन-पत्र
निर्गम विभाग

(₹ हजार)

2012-13	देयताएं	2013-14	2012-13	आस्तियां	2013-14
80,169	**बैंकिंग विभाग में रखे गये नोट**	**110,271**	674,316,432	**स्वर्ण सिक्के तथा सोना-चांदी:** (क) भारत में धारित	**649,775,377**
12016,157,427	**परिचालन में नोट**	**13445,160,518**	–	(ख) भारत के बाहर धारित	**–**
			11329,100,584	**विदेशी प्रतिभूतियां**	**12783,310,039**
12016,237,596	**कुल जारी नोट**	**13445,270,789**	12003,417,016	**कुल**	**13433,085,416**
			2,356,280	**रुपया सिक्के**	**1,721,073**
			10,464,300	**भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां**	**10,464,300**
			–	**आंतरिक विनिमय पत्र एवं अन्य वाणिज्यिक पत्र**	**–**
12016,237,596	**कुल देयताएं**	**13445,270,789**	12016,237,596	**कुल आस्तियां**	**13445,270,789**

बैंकिंग विभाग

(₹ हजार)

2012-13	देयताएं	2013-14	2012-13	आस्तियां	2013-14
50,000	**प्रदत्त पूंजी**	**50,000**	80,169	**नोट**	**110,271**
65,000,000	**आरक्षित निधि**	**65,000,000**	296	**रुपया सिक्के**	**209**
220,000	**राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि**	**230,000**	63	**छोटे सिक्के**	**73**
1,960,000	**राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि**	**1,970,000**		**खरीदे तथा भुनाये गये बिल:**	
			-	(क) आंतरिक	**-**
			-	(ख) बाह्य	**-**
			-	(ग) सरकारी खज़ाना बिल	**-**
	जमाराशि				
	(क) सरकार		3395,014,738	**विदेशों में रखी गयी राशि**	**3726,756,685**
1,002,895	(i) केंद्र सरकार	**1,000,207**			
424,847	(ii) राज्य सरकारें	**424,661**			
	(ख) बैंक		7276,101,007	**निवेश**	**7767,331,027**
3391,427,816	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**3469,155,998**			
32,038,844	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	**37,292,739**		**निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम :**	
55,210,206	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	**63,307,042**	146,610,000	(i) केंद्र सरकार	**-**
2,241,459	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	**4,807,554**	21,449,487	(ii) राज्य सरकार	**6,656,600**
90,595,353	(v) अन्य बैंक	**102,670,889**		**निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम:**	
165,973,592	**(ग) अन्य**	**213,885,518**	187,170,300	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**294,173,000**
			–	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	**-**
			1,650,000	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	**1,337,500**
1,873,179	**देय बिल**	**373,489**	–	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	**-**
			–	(v) नाबार्ड	**-**
			8,236,648	(vi) अन्य	**68,662,500**
				राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश:	
				(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम:	
			–	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	**–**
			–	(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	**–**
8082,855,793	**अन्य देयताएं**	**8838,232,625**	–	(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	**–**
			–	(iv) अन्य	**–**
				(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	
			–	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	**–**
			–	(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	**–**
			–	(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	**–**
			–	(iv) अन्य	**–**
				राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश :	
			–	(क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और अग्रिम	**–**
			–	(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों/डिबेंचरों में निवेश	**–**
			854,561,276	**अन्य आस्तियां**	**933,372,857**
11890,873,984	**कुल देयताएं**	**12798,400,722**	11890,873,984	**कुल आस्तियां**	**12798,400,722**

30 जून 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

(₹ हजार)

2012-13	आय		2013-14
455,635,749	**ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि**		**646,169,713**
455,635,749	**जोड़**		**646,169,713**
	व्यय		
25,725	**ब्याज**		**35,690**
58,595,877	स्थापना		**43,244,344**
30,613	निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और व्यय		**30,963**
640,702	खजाना प्रेषण		**712,554**
28,066,536	एजेंसी प्रभार		**33,254,472**
28,724,406	प्रतिभूति मुद्रण (चेक, नोट फार्म आदि)		**32,135,816**
228,203	मुद्रण और लेखन-सामग्री		**209,279**
818,627	डाक-टिकट और दूरसंचार प्रभार		**839,866**
1,503,660	किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		**1,223,092**
30,139	लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		**24,221**
36,316	विधि प्रभार		**45,594**
2,390,152	बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और उसकी मरम्मत		**2,658,472**
4,404,794	विविध व्यय		**4,924,898**
125,495,750	**जोड़**		**119,339,261**
330,140,000	उपलब्ध शेष राशि		**526,830,452**
	घटायें: निम्नलिखित में अंशदान:		
	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	10,000	
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि[1]	10,000	
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि[1]	10,000	
	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	10,000	
40,000			**40,000**
330,100,000	**केंद्र सरकार को देय अधिशेष**		**526,790,452**

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

एस. गणेश कुमार	एस. एस. मुंदड़ा	आर. गांधी	ऊर्जित आर. पटेल	हारून आर. खान	रघुराम जी. राजन
मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की जरूरत तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा लगातार पालन की गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और उन्हें तैयार करने के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो इसके बारे में सच्ची और सही राय देते हैं और ये गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से मुक्त है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण से संबंधित मानकों के अनुरूप लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की नैतिक अपेक्षाओं और आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में राशि तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हो।

लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरण संबंधी राशि और प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की जाँच करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा-परीक्षक करते हैं जिसमें गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के लिए वित्तीय विवरणों का सही प्रस्तुतीकरण और बैंक की तैयारी के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, लेकिन इसे बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखा-परीक्षा से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

अन्य मामले

हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था और वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये और वे संतोषजनक हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में बैंक के अट्ठारह लेखांकन इकाइयों के लेखा शामिल किये गये हैं जो सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं और हमने इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

कृते हरिभक्ति एंड कंपनी, एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं.103523 डब्ल्यू)
दिलीप बी. देसाई
भागीदार
सदस्यता क्र.300- 53078

कृते सीएनके एंड एसोसिएट, एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं.101961 डब्ल्यू)
गौतम नायक
भागीदार
सदस्यता क्रम सं. 38127

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अगस्त 2014

30 जून 2014 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

1. सामान्य

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य ''बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।''

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

ए) बैंक नोटों का निर्गम।

बी) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंध करना।

सी) बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) अंतिम ऋणदाता की भूमिका का निर्वाह करना।

ई) भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंध करना।

जी) बैंकों और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका का निर्वाह करना।

आइ) विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन और विकास।

जे) ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय वित्तीय समावेशन सहित विकास कार्य।

अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए। निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार की करेंसी नोटों और उस समय परिचालनगत बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

2. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

I. परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं। जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं।

विवरणों में अपनायी गयी लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गई लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

II. राजस्व निर्धारण

लाभांश को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है उसकी गणना प्राप्ति-आधार पर की जाती है और उगाही के निश्चित होने पर ही दंडात्मक ब्याज की गणना की जाती है। सिर्फ उगाहे गए लाभ को ही गणना में लिया जाता है।

देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखे में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें आय में से प्रभारित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

III. स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेनों को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(ए) स्वर्ण

स्वर्ण का पुनः मूल्य निर्धारण माह के अंत में, उस माह के लिए लंदन के बुलियन बाजार ऐशोसियेशन के औसत दैनिक मूल्य के 90 प्रतिशत मूल्य पर, किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में जमा/नामे किया जाता है।

(बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा को छोड़कर), उन मामलों को छोड़कर जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, कारोबार के अंतिम सप्ताह, माह तथा वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को इस प्रकार से दर्शाए जाने से होने वाले विदेशी मुद्रा के लाभ और हानि को मुद्रा और स्वर्ण पूनर्मूल्यन खाते में डाला जाता है और वे वहीं पर समायोजित रहती हैं।

खज़ाना बिलों से भिन्न विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, कुछ ''परिपक्वता तक धारित'' प्रतिभूतियों, जिनका लागत के आधार पर मूल्य निकाला जाता है को छोड़कर, प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य पर किया जाता है। मूल्य वृद्धि या मूल्य ह्रास को, यदि कोई हो, निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में दर्ज किया जाता है। निवेश पुनर्मूल्यन खाते में जमा शेष बाद के वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में निवेश पुनर्मूल्यन खाते का नामे शेष, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते से लिया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन लाभ और हानि खाते में वापस जमा किया जाता है।

विदेशी खजाना बिलों और वाणिज्यिक पत्रों को बट्टे के परिशोधन से समायोजित लागत के अनुसार रखा जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट को दैनिक रूप से परिशोधित किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि की पहचान बही मूल्य के अनुसार की जाती है। विदेशी प्रतिभूतियों, वाणिज्यिक पत्रों तथा विदेशी प्रतिभूतियों केमामले में लाभ एवं हानि की गणना परिशोधित लागत के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री/पुनः प्राप्ति पर, विक्रय की गई प्रतिभूतियों, जो निवेश पुनर्मूल्यन खाते में रखी गई हों, के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में अंतरित किया जाता है।

सी) वायदा (फॉरवर्ड)/स्वैप संविदाएं

वायदा संविदाओं के संबंध में लेखांकन नीति में वर्ष के दौरान तकनीकी समिति II के परामर्श के अनुसार परिवर्तन किया गया है। तदनुसार, बैंक द्वारा उसके हस्तक्षेप करने के परिचालनों के हिस्से के रूप में की गई वायदा संविदाओं का, इस वर्ष से आगे, वार्षिक आधार पर पुनर्मूल्यन किया जाएगा (30 जून को)। बाजार मूल्य पर (एमटीएम) लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है जो तुलन पत्र की एक मद है जिसमें वायदा संविदाओं के पुनर्मूल्यांकन खाता (आरएफसीए) में प्रतिपक्षी के नामे किया जाता है। बाजार मूल्य पर (एमटीएम) हानि को एफसीवीए में नामे किया जाता है जिसके अंतर्गत वायदा कारोबारों के मूल्यन खाते के लिए पीएफसीवी में प्रतिपक्षी राशि जमा की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाएगा तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि को वापस किया जाएगा। आरएफसीए में शेष राशि हस्तक्षेप परिचालनों के एक हिस्से के रूप में तय की गई वायदा संविदाओं के मूल्यांकन से अप्राप्त निवल लाभ को दर्शाती है जबकि पीएफसीवीए में शेष राशि ऐसी संविदाओं के मूल्यांकन किए जाने पर अप्राप्त निवल हानि को दर्शाती है।

बाजार से भिन्न दरों पर, जो रिपो के रूप में होती हैं, स्वैप किए जाने की स्थिति में भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की दर में अंतर का परिशोधन संविदा की अविध के दौरान किया जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिपक्षी प्रविष्ठियां परिशोधन खाते में की जाती हैं। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

एफसीवीए एवं पीएफसीवीए ''अन्य देयताओं'' का हिस्सा होती हैं किंतु आरएफसीए ''अन्य आस्तियों'' का हिस्सा होती हैं।

IV. रुपया प्रतिभूतियां

खज़ाना बिलों को छोड़कर, निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गई रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य (एलओबीओएम) पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्मडा) द्वारा अधिसूचित किए अनुसार प्रचलित आय-व्रक पर आधारित दर पर किया जाता है। मूल्य में कमी का समायोजन, यदि कोई हो, चालू ब्याज आय से किया जाता है।

खज़ाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत के अनुसार किया जाता है।

पुनर्खरीद करार (रिपो) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियों को अंकित मूल्य पर रिज़र्व बैंक की बहियों में दर्शाया जाता है।

V. शेयर

शेयर में किए गए निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

VI. अचल आस्तियां

अचल आस्तियों का विवरण उनकी लागत में से मूल्यह्रास को घटाते हुए दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 प्रतिशत
कम्प्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33 प्रतिशत

कम्प्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयरों (₹0.1 मिलियन और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि के संबंध में विवरण सीधी कटौती के आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यह्रास की दर/परिशोधन
पट्टाधारित भूमि और उस पर बने भवन	पट्टे की अवधि के अनुपात में किंतु 5 प्रतिशत से कम नहीं
पूर्ण स्वामित्व वाली (फ्रीहोल्ड) भूमि पर बने भवन	10 प्रतिशत

पट्टाधारित भूमि पर परिशोधन प्रीमियम और भवनों पर मूल्यह्रास बट्टाकृत मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

₹1,00,000/- से कम लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से कहीं ले जाने योग्य आस्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष से संबंधित लाभ/हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं।

₹10,000 से अधिक लागत वाले मूल्यवान लेकिन आसानी से कही ले जाने योग्य इलेक्ट्रानिक आस्तियों जैसे लैपटॉप आदि को पूंजीकृत किया गया है।

₹ 1,00,000 और अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैयक्तिक मदों को पूंजीकृत किया गया है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर की गयी है। अचल आस्तियों की वर्ष के अंत में शेष राशि पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

VII. कर्मचारी लाभ

'अनुमानित इकाई ऋण' प्रणाली के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के खाते पर देयता बीमांकित मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखे के संबंध में टिप्पणियां

तैयार करने का आधार

XII.6 रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किए जाते हैं। वर्तमान परंपरा के अनुसार रिज़र्व बैंक दो तुलन पत्र तैयार करता है। एक निर्गम विभाग के लिए, जिसका संबंध सिर्फ उसकी मुद्रा प्रबंध की जिम्मेदारी से होता है और दूसरा बैंकिंग विभाग के लिए जिसमें रिज़र्व बैंक के अन्य सभी कार्यों का प्रभाव दर्शाया जाता है।

निर्गम विभाग की देयताएं तथा आस्तियां

निर्गम विभाग - देयताएं

XII.7 निर्गम विभाग की देयताओं से परिचालनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 34(1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व

बैंक द्वारा जारी की सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारंभ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। 2013-14 के दौरान, परिचालनगत करेंसी नोटों की संख्या 11.9 प्रतिशत बढ़कर ₹13,445.16 बिलियन हो गई जबकि 2012-13 के दौरान इनमें 8.9 प्रतिशत तथा 2011-12 में 13.8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

निर्गम विभाग - आस्तियां

XII.8 अपनी मुद्रा देयताओं को सहारा प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग की पात्र आस्तियों में स्वर्ण (सिक्के तथा बुलियन), विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का, भारत सरकार की प्रतिभूतियां (जो ₹10.46 बिलियन के अपरिवर्तित स्तर पर रहीं), आंतरिक विनिमय पत्र तथा अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 557.75 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.26 मीट्रिक टन स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की अन्य आस्तियों का हिस्सा माना जाता है। निर्गम विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार ₹674.31 बिलियन से 3.64 प्रतिशत घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 649.78 बिलियन रह गया है, जिससे बुलियन के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी का पता चलता है (सारणी XII.1)। निर्गम विभाग की कुल देयताओं में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में धारित सहारा प्रदान करने वाली जो आस्तियां 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार ₹11,329.10 बिलियन थीं वे 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार बढ़कर ₹12,783.31 बिलियन हो गईं। निर्गम विभाग के रुपया स्क्किों का मूल्य 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार ₹2.36 बिलियन के स्तर से घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹1.72 बिलियन रह गया। इसमें 27.1 प्रतिशत की गिरावट आई। भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया और वे ₹10.46 बिलियन के स्तर पर बनी रहीं।

सारणी XII.1: सोने की धारिता

	30 जून 2013 की स्थिति		30 जून 2014 की स्थिति	
	मूल्य, ₹ बिलियन में	मात्रा, मेट्रिक टन में	मूल्य, ₹ बिलियन में	मात्रा, मेट्रिक टन में
1	2	3	4	5
निर्गम विभाग में रखा गया सोना	674.31	292.26	649.78	292.26
बैंकिंग विभाग में रखा गया सोना ('अन्य आस्तियों' के तहत)	612.54	265.49	590.24	265.49
कुल	**1,286.85**	**557.75**	**1,240.02**	**557.75**

बैंकिंग विभाग की देयताएं और आस्तियां

बैंकिंग विभाग - देयताएं

i) पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार को प्राप्त हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन बनी हुई है।

ii) आरक्षित निधि

₹0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46 के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ-राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है और स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में दर्ज किया जाता है जो कि तुलन-पत्र में 'अन्य देयताओं' की मद का एक हिस्सा है।

iii) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के तहत जुलाई 1964 में ₹100 मिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ सृजित इस निधि में रिज़र्व बैंक की ओर से पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता स्वरूप प्रदान किए गए वार्षिक सहयोग की राशि जमा की जाती है। 1992-93 से इस निधि में बैंक से प्रत्येक वर्ष ₹10 मिलियन की टोकन राशि जमा की जाती है; वर्ष 2013-14 में इस परिपाटी को जारी रखा गया है और इस

प्रकार से 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार इस निधि की शेष राशि ₹230 मिलियन रही।

iv) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46डी के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय निभाव उपलब्ध कराने के लिए ₹500 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी के साथ जनवरी 1989 में स्थापित निधि को उसके बाद से रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वार्षिक सहयोग के माध्यम से बढ़ाया गया है। वर्ष 1992-93 से प्रतिवर्ष लाभ-हानि (आय विवरण) से सिर्फ ₹10 मिलियन की टोकन राशि ही इस निधि में जमा की जाती है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹1,970 मिलियन की राशि जमा है।

v) अन्य निधियों में अंशदान

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 46ए के अधीन दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जिसके के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक के लिए ₹10 मिलियन का टोकन अंशदान राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में जमा किया जाता है।

vi) जमाराशियां

इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों, निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) और नाबार्ड जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधियों संबंधी विविध खातों की शेष राशियों और हाल ही में स्थापित जमाकर्ता, शिक्षा और जागरुकता निधि (डीईए निधि) की रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली नकदी होती है। वर्ष के दौरान इस निधि का सृजन जमाकर्ताओं के हितों में वृद्धि करने के लिए और इस प्रकार के उद्देश्य जिन्हें समय-समय पर रिज़र्व बैंक निर्धारित करता है, के अनुसार जमाकर्ताओं के हितों में वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, के लिए किया गया है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार डीईए निधि में ₹27.95 बिलियन की जमाराशि थी। कुल जमाराशि 30 जून 2013 के ₹3,738.92 बिलियन कुल राशि की तुलना में 30 जून 2014 को ₹3,892.54 बिलियन राशि रही जो 4.1 प्रतिशत की वृद्धि है।

- *जमाराशियां - सरकारी*

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21(ए) के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमा राशि रखते हैं। वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर केंद्र और राज्य सरकारों की जमा राशियों का अंतिम शेष क्रमशः ₹1.00 बिलियन और ₹0.42 बिलियन था जिनका योग ₹1.42 बिलियन होता है जो पिछले वर्ष की समाप्ति के स्तर से लगभग बराबर ही रहा।

- *जमाराशियां - बैंक*

भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखे गए अपने चालू खाते में बैंक राशि नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा भुगतान और निपटान के दायित्वों तथा आवश्यक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमा रखते हैं। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरन 3.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल जमा राशि ₹3,677.24 बिलियन थी जबकि 30 जून 2013 को यह राशि ₹3,571.51 बिलियन थी।

- *जमाराशियां - अन्य*

2013-14 के दौरान अन्य जमाराशियों में समग्र रूप से 28.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें संचित सेवानिवृत्ति लाभों और हाल ही स्थापित डीईए निधि का प्रमुख योगदान रहा। विस्तृत विवरण सारणी XII.2 में दिया गया है।

vii) देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों के लिए धन-प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है और स्वयं की भुगतान संबंधी आवश्यकता को मांग ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) (इक्लेक्ट्रानिक

सारणी XII.2: जमाराशियां - अन्य

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2013	2014
1	2	3
I. विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं की रुपया जमाराशियां	15.33	11.56
II. भारतीय वित्तीय संस्थाओं की जमाराशियां	0.70	2.53
III. म्यूचुअल फंडों की जमाराशियां	0.02	0.01
IV. संचित सेवानिवृत्ति-अधिवर्षिता लाभ (i+ii)	141.02	161.72
(i) भविष्य निधि	36.10	38.62
(ii) ग्रेच्युइटी और सेवानिवृत्ति-निधि	104.92	123.10
V. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि	0.00	27.95
VI. विविध	8.90	10.11
कुल	**165.97**	**213.88**

भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) जारी करके पूरा भी करता करता है। इस मद की शेष राशि धन-प्रेषण समाशोधन खाते में धारित तत्कालीन धन-प्रेषण सुविधा योजना, 1975 के तहत के धन-प्रेषण और भुनाए न गए मांग ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों को दर्शाती है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2013 के ₹1.87 बिलियन से घटकर 30 जून 2014 को ₹0.37 बिलियन रह गई जिसका मुख्य कारण डीडी/पीओ के जरिए धन-प्रेषण में कमी होना है जो भुगतान के इलेक्ट्रानिक प्रकार की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

viii) अन्य देयताएं

अन्य देयताओं में आंतरिक आरक्षित निधियां और प्रावधान प्रमुख घटक होते हैं। जहां, आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) बैंक से प्राप्त लाभ से सृजित की जाती है, वहीं 'अन्य देयताओं' के शेष घटक जैसे कि मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) और विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए) इत्यादि अप्राप्त लाभ/हानि को दर्शाते हैं। अन्य देयताएं 30 जून 2013 के ₹ 8,082.86 बिलियन से 9.3 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2014 को ₹8,838.23 बिलियन हो गईं जिसका मुख्य कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में हुई वृद्धि होना था (सारणी XII.3)।

ए) आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर)

यह निधि अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग से रखी गई राशि को दर्शाती है। इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट और मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और बैंक को दी गई कोई विशेष उत्तरदायित्व के चलते पैदा होने वाले जोखिम शामिल हैं।

बी) आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर)

1997-98 में सृजित आस्ति विकास आरक्षित निधि आंतरिक पूंजीगत खर्चों को पूरा करने तथा अनुषंगी संस्थाओं और सहायक संस्थानों में निवेश करने के लिए प्रत्येक वर्ष लाभ में से उपलब्ध कराई गई राशि को दर्शाती है।

आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि का अंतरण

आंतरिक अध्ययन दल (अध्यक्ष : श्री वी. सुब्रह्मण्यम) (1997) की सिफारिशों के आधार पर आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि का लक्ष्य कुल आस्तियों का 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया था किंतु 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास निधि (एडीआर) दोनों मिलकर रिज़र्व बैंक की कुल आस्तियों का 9.2 प्रतिशत रहीं। पिछले पांच वर्षों के अंत की स्थिति सारणी XII.4 में

सारणी XII.3: अन्य देयताओं के विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2013	2014
1	2	3
ए.आकस्मिकता आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	**1,954.05**	**2,216.52**
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	262.47	0.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	**2,216.52**	**2,216.52**
बी. आस्ति विकास आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	**182.14**	**207.61**
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	25.47	0.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	**207.61**	**207.61**
सी. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	**4,731.72**	**5,201.13**
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/निवल नि:शेष (-)	(+) 469.41	(+) 520.50
वर्ष के अंत में शेष राशि	**5,201.13**	**5,721.63**
डी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	**122.22**	**24.85**
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/निवल उपयोग (-)	(-) 97.37	(+) 13.06
वर्ष के अंत में शेष राशि	**24.85**	**37.91**
ई. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता (पहले इसे विदेशी मुद्रा समकरण खाता के नाम से जाना जाता था)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	**24.05**	**16.99**
*विनिमय खाते से अंतरण/** वायदा संविदा पर एमटीएम अभिलाभ	16.99*	42.98**
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय(+)/निवल उपयोग (-)	(-) 24.05	(-) 16.99
वर्ष के अंत में शेष राशि	**16.99**	**42.98**
एफ. बकाया व्यय के लिए प्रावधान	**18.43**	**16.55**
जी. भारत सरकार को अंतरण-योग्य अधिशेष	**330.10**	**526.79**
एच. विविध	**67.23**	**68.24**
आइ. कुल (ए से एच)	**8,082.86**	**8,838.23**

दी गई है। तकनीकी समिति II की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए 30 जून 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सीआर और एडीआर में किसी प्रकार का अंतरण नहीं किया गया है।

सी) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

स्वर्ण मूल्य में परिवर्तन होने के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) तथा स्वर्ण के मूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं लिया जाता है, बल्कि तुलन-पत्र की मुद्रा और स्वर्ण

सारणी XII.4: आकस्मिक आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	सीआर में शेष	एडीआर में शेष	कुल	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत के रूप में सीआर और एडीआर
1	2	3	4=(2+3)	5
2010	1585.61	146.32	1731.92	11.3
2011	1707.28	158.66	1865.94	10.3
2012	1954.05	182.14	2136.19	9.7
2013	2216.52	207.61	2424.13	10.1
2014	2216.52	207.61	2424.13	9.2

पुनर्मूल्यन खाते की मदों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन के कारण होने वाले निवल अप्राप्त लाभ और हानि राशि को दर्शाता है। इसलिए इसका आकार आस्ति आधार के आकार और विनिमय दर तथा स्वर्ण मूल्य के परिवर्तनों के अनुसार बदलता है। 2013-14 के दौरान मुद्रा और स्वर्ण पूनर्मूल्यन खाते की राशि में ₹520.50 बिलियन की वृद्धि हुई। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार इस खाते में जमा राशि ₹5,201.13 बिलियन थी जो 30 जून 2014 को बढ़कर ₹5721.63 बिलियन हो गई। इसका मुख्य कारण अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर और रुपये की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्य में कमी होना है।

डी) निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए)

रिज़र्व बैंक दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार करता है और इस प्रकार से हुई मूल्य में वृद्धि/कमी को निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार निवेश पुनर्मूल्यन खाते में शेष राशि ₹37.91 बिलियन रहीं जबकि 30 जून 2013 को यह राशि ₹24.85 बिलियन थी। इस खाते में हुई वृद्धि बाजार में हुए उतार-चढ़ाव के कारण हुई थी।

इ) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए)

[पूर्व में इसका नाम विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए) था]

वर्ष के दौरान तकनीकी समिति II द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार वायदा संविदा की संशोधित लेखांकन नीति का कार्यान्वयन किया गया, विदेशी मुद्रा समकरण खाते (ईईए) जिसका प्रयोग बकाया वायदा संविदाओं से संबंधित एमटीएम हानियों को दर्ज करने किया जाता था, का नाम बदलकर 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) कर दिया गया है और विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के एमटीएम से होने वाले लाभ और हानियों जिन्हें बैंक के हस्तक्षेपी परिचालनों के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है, को अब खाते के इस शीर्ष के तहत दर्ज किया जाता है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार एफसीवीए में शेष राशि ₹42.98 बिलियन रही थी जबकि 30 जून 2013 के अंत में इस खाते में शेष राशि ₹16.99 बिलियन थी। पिछले पांच वर्षों के लिए सीजीआरए, एफसीवीए और आईआरए में शेष राशि की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

सारणी XII.5: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा संविदा मूल्यांकन खाते(एफसीवीए) *''पहले का विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए)''* और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)	विदेशी मुद्रा संविदा मूल्यांकन खाता (एफसीबीए)*	निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए)
1	2	3	4
2010	1,191.34	0.19	93.71
2011	1,822.86	0.01	42.69
2012	4,731.72	24.05	122.22
2013	5,201.13	16.99	24.85
2014	5,721.63	42.98	37.91

*ईईए 2012-13 तक

एफ) बकाया व्यय के लिए प्रावधान

वर्ष 2013-14 के लिए ₹16.55 बिलियन की राशि का प्रावधान किया गया है जबकि 2012-13 के लिए इसके लिए ₹18.43 बिलियन की राशि का प्रावधान किया गया था।

जी) भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों आस्तियों में हुए मूल्यह्रास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि हेतु योगदान के लिए और इस अधिनियम के तहत प्रावधान करने के लिए अन्य सभी मामालों अथवा जो बैंकर्स के द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, के लिए प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अतिकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अन्य कर का भुगतान नहीं करना है और धन कर का भुगतान करने से भी बैंक को छूट प्राप्त है। तदनुसार सांविधिक निधि के लिए ₹ 40 मिलियन की राशि का योगदान सहित व्यय का समायोजन करने के बाद 2013-14 के लिए सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल अधिशेष राशि ₹526.79 बिलियन है। सरकार को 11 अगस्त 2014 को अंतरित की जाने वाली

राशि कुल अधिशेष (चार निधियों में अंतरित करने से पहले) का 99.99 प्रतिशत है जबकि 2011-12 और 2012-13 में यह राशि क्रमशः 37.2 प्रतिशत और 53.4 प्रतिशत थी (सारणी XII.6)। इसमें पिछले वर्षों के समान, स्व-मूल्यांकन के आधार पर माइकर चेक प्रोसेसिंग शुल्कों के कारण देय अनुमानित सेवा कर के लिए ₹0.03 बिलियन की राशि और पिछले वर्ष के ₹13.22 बिलियन की तुलना में विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर सरकार को देय ब्याज-अंतर के रूप में ₹12.69 बिलियन की राशि भी शामिल है।

एच) विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें छुट्टी का नकदीकरण किए जाने पर देय राशि, प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए आरक्षित निधि जिसे कर्मचारी निधियों के लिए अलग रखा गया हो, रिपो लेनदेनों के मार्जिन के रूप में धारित संपार्श्विकीकृत निधि का मूल्य, कर्मचारियों के लिए चिकित्सकीय प्रावधानों इत्यादि जैसे उप लेखों को शामिल किया जाता है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार विविध देयताएं ₹68.24 बिलियन रहीं जबकि 30 जून 2013 को ये देयताएं ₹67.23 बिलियन थीं।

बैंकिंग विभाग - आस्तियां

XII.9 बैंकिंग विभाग की आस्तियों में नोट, रुपया सिक्के, छोटे सिक्के, खरीदे गए और भुनाए गए बिल, विदेशों में धारित राशि, निवेश, ऋण और अग्रिम तथा अन्य आस्तियां शामिल होती हैं। तुलन पत्र में उनको चलनिधि के घटते क्रम में दर्शाया जाता है।

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

यह रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों का स्टॉक होता है। इस स्टॉक के मूल्य में 37.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 30 जून 2013 के ₹ 0.08 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2014 को ₹ 0.11 बिलियन हो गया।

ii) खरीदे गए और भुनाए गए बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किंतु 2013-14 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की लेखा पुस्तिकाओं में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iii) विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) एवं विदेशी मुद्रा रिज़र्व (एफईआर)

बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) को तुलन पत्र में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पेश किया गया है: (क) विदेशी मुद्रा के रूप में विदेश में धारित शेष, जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के अंतर्गत एक अलग मद के रूप में दर्शाया गया है। (ख) बैंकिंग विभाग के निवेश के हिस्से के रूप में धारित विदेशी प्रतिभूतियां (इसमें जमाराशियां, ट्रेजरी-बिल, दिनांकित प्रतिभूतियां तथा बीआईएस/स्विफ्ट के शेयर शामिल हैं) एवं (ग) ''निर्गम विभाग की आस्तियां'' से संबंधित पैराग्राफ में उल्लेख किए गए अनुसार निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में धारित विदेशी प्रतिभूतियां (इसमें जमाराशियां, ट्रेजरी-बिल तथा दिनांकित प्रतिभूतियां शामिल हैं)।

विदेश में धारित शेष इस प्रकार हैं (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियां, (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियां, (iii) वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में शेष, (iv) विदेशी ट्रेजरी बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा, (v) वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा उपयोग किए गए विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)। पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XII.6 में दी गई है।

विदेशी मुद्रा रिज़र्व (एफईआर) में एफसीए, सोना, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआरज़) एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं, जिनमें एफसीए का सर्वाधिक हिस्सा है। आईएमएफ की रिज़र्व ट्रान्च स्थिति बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत सरकार के पास उसका शेयर

सारणी XII.6: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2013	2014
1	2	3
I. निर्गम विभाग में रखी गयी	11,329.10	12,783.31
II. बैंकिंग विभाग में रखी गयी		
क) निवेशों में शामिल*	523.57	1,069.45
ख) विदेशों में रखी गयी शेष राशि	3,395.01	3,726.76
कुल	**15,247.68**	**17,579.52**

*: बीआईएस और स्विफ्ट (एसडब्ल्यूआईएफटी) में विदेशी प्रतिभूतियां और शेयर शामिल हैं (सारणी XII.8 की मदें ii+iii)

@: रु. 49.31 बिलियन की एसडीआरएस मूल्य शामिल है।

टिप्पणी : 1. 30 जून 2014 को अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के अंशतः चुकता शेयरों की मांगी न गई राशि ₹1.12बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी। पिछले वर्ष यह राशि ₹ 1.08 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक 8740.82 मिलियन एसडीआर (₹812.00 बिलियन/13.15 बिलियन अमरीकी डालर) की अधिकतम राशि तक आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत ढ नोट खरीद करार के अंतर्गत पहले किये गये वादा के अनुसार 10 बिलियन अमरीकी डालर (रु. 600.93 बिलियन) शामिल है संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गया है। 30 जून 2014 को उधार के लिए नई व्यवस्था नोट क्रय करार के अंतर्गत 1,200.90 मिलियन एसडीआर (₹111.56 बिलियन/1.86 बिलियन अमरीकी डॉलर) की राशि निवेश की गई है।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फायनेंस कंपनी (यूके) द्वारा जारी बांडों में एक राशि, जिसका कुल 5 बिलियन अमरीकी डालर (₹300.47 बिलियन) से अधिक नहीं होना चाहिए, निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2014 तक, रिज़र्व बैंक ने ऐसे बांडों में 1,181 मिलियन अमरीकी डालर (₹70.97 बिलियन) का निवेश किया गया है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ नोट खरीद करार (एनपीए) 2012 के अनुसार, अमरीकी डालर 10 बिलियन (₹600.93 बिलियन)तक की राशि के आईएमएफ के एसडीआर मूल्यवर्गीत नोट की खरीद कर सकते है।

5. वर्ष 2013-14 के अंतर्गत, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के वीच एसडीआर धारिता के अंतरण संबंधी रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। 30 जून 2014 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एसडीआर 530.80 मिलियन (₹49.31 बिलियन; 820.56 मिलियन अमरीकी डालर) हैं।

है एवं इसलिए उसे रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में दर्शाया नहीं गया है। 30 जून 2013 एवं 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा रिज़र्व के मूल्यमान नामतः भारतीय रुपया और अमरीकी डॉलर के संदर्भ में विदेशी मुद्रा रिज़र्व की स्थिति इस प्रकार है (सारणी XII.7 क एवं ख)।

सारणी XII.7(क): विदेशी विनिमय आरक्षित निधि (रुपये में)

(₹ बिलियन में)

	तक		घट-बढ़	
	30 जून 2013	30 जून 2014	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एफसीए)	15,247.69	17,530.21#	2,282.52	14.97
स्वर्ण	1286.86	1240.02@	(-) 46.84	(-) 3.64
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	259.20	268.31	9.11	3.51
आईएमएफ में रिज़र्व स्थिति *	130.67	103.23	(-) 27.44	(-) 21.00
कुल विदेशी विनिमय आरक्षित निधि (एफईआर)	**16,924.42**	**19,141.77**	**2,271.35**	**13.10**

: एसडीआर धारिता के अंतर्गत जो राशि शामिल है उसमें रु. 49.31 बिलियन की राशि भारतीय रिज़र्व के एसडीआर की धारिता राशि को छोड़कर है।

@: इसमें से र. 649.78 बिलियन रुपये के मूल्य का सोना निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखा हुआ है और 590.24 बिलियन रुपये मूल्य का सोना 'अन्य आस्ति " के तहत बैंकिंग विभाग में रखा हुआ है।

* : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिज़र्व शेयर की स्थिति, जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक एक ज्ञापन मद के रूप में दर्शायी गई थी, को 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से रिज़र्व में शामिल किया गया है।

सारणी XII.7 (ख) : विदेशी विनिमय आरक्षित निधि

(अमरीकी डालर में)

	तक		घट-बढ़	
	30 जून 2013	30 जून 2014	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एफसीए)	254.37*	289.32**	34.95	13.74
स्वर्ण	21.55	20.63	(-) 0.92	(-) 4.27
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	4.34	4.47	0.13	3.00
आईएमएफ में रिज़र्व स्थिति *	2.19	1.72	(-)0.47	(-) 21.46
कुल विदेशी विनिमय आरक्षित निधि (एफईआर)	**282.45**	**316.14**	**33.69**	**11.93**

*: आईआईएफसी (यूके) के बांडों में निवेश की किए गए 950 मिलियन अमरीकी डॉलर और सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप समझौते के तहत भूटान से प्राप्त 100 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर की भूटान की मुद्रा (बीटीएन) शामिल नहीं है जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के भाग के रूप में हिसाब में लेने के लिए पात्र नहीं है।

**: आईआईएफसी (यूके) के बांडों में निवेश किए गए 1181 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त किए गए 820.56 मिलियन अमरीकी डॉलर के एसडीआर शामिल नहीं हैं ।

सारणी XII.8: बैंकिंग विभाग का निवेश

(₹ बिलियन)

निवेश	2012-13	2013-14
1	2	3
क) भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां @	6,739.33	6,684.68
ख) विदेशी प्रतिभूतियां	520.90	1,066.69
ग) बीआईएस और स्विफ्ट (एसडब्ल्यूआईएफटी) में शेयर	2.67	2.76
घ) सहायक/सहयोगी संस्थाओं में धारिताएं	13.20	13.20
कुल	**7,276.10**	**7,767.33**

@: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए रु. 454.02 तथा 2013-14 के लिए ₹452.65 बिलियन के तेल बान्ड के रूप में जारी बान्ड शामिल हैं।

iv) निवेश

बैंकिंग विभाग के निवेश सारणी XII.8 में दिए गए

ए. रिज़र्व बैंक के पास भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां 2012-13 के ₹ 6,739.33 बिलियन से घटकर 2013-14 में ₹ 6,684.68 बिलियन रह गईं। पोर्टफोलिया की कुल रुपया प्रतिभूतियां वर्ष 2013-14 के दौरान कुछ कम ही गईं क्योंकि रीडेम्पशन (₹236.38 बिलियन का) एवं भारत सरकार के शेष में परिवर्तन (₹ 182.85 बिलियन का) ओएमओ (₹ 302.83 बिलियन का) के जरिए की गई खरीद से अधिक था। स्वयं रिज़र्व बैंक के पास भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों की राशि ₹ 5,663.32 बिलियन थी; पुनःक्रय करार - रिपो के अंतर्गत प्राप्त संपार्श्विकों की राशि ₹ 951.42 बिलियन थी जबकि सीमांत स्थायी सुविधा - एमएसएफ से संबंधित प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ 92.46 बिलियन था और इसमें से रिवर्स रिपो खरीद के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रदत्त ₹ 22.52 बिलियन की प्रतिभूतियों को समायोजित किया गया है।

बी. विदेशी प्रतिभूतियां, सोवरेन और सुप्रा-नैशनल संस्थाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य लिखतों अथवा संस्थाओं के ऋणों को दर्शाती हैं। विदेशी प्रतिभूतियों का एक हिस्सा निर्गम विभाग की देयताओं में होने वाली कोई भावी वृद्धि को कवर करने के लिए बैंकिंग विभाग में रखा गया है।

सी. अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक और विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) में धारित शेयरों का कुल मूल्य ₹ 2.76 बिलियन है।

डी. 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार अनुषंगी/सहयोगी संस्थाओं की धारिता का ब्यौरा सारणी XII.9 में दिया गया है।

v) ऋण और अग्रिम

ए) *केंद्र और राज्य सरकारें*

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार प्रदान किए गए अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं जिसकी सीमाएं सरकारों से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को देय कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं थे; 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹ 146.61 बिलियन थी। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिमों का कुल मूल्य ₹ 6.65 बिलियन था जबकि 30 जून 2013 को यह राशि ₹ 21.45 बिलियन थी।

सारणी XII.9: सहायक/सहयोगी संस्थाओं में धारिताएं

(राशि ₹ मिलियन में)

	लागत	% धारिता
1	2	3
(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	500.00	100.0
(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	200.00	1.0
(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	4,500.00	100.0
(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	8,000.00	100.0
कुल	**13,200.00**	–

बी) वाणिज्य और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम

इसमें निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से पात्र बकाया निर्यात ऋण के बदले प्राप्त पुनर्वित्त शामिल हैं। ईसीआर पुनर्वित्त सीमा बकाया पात्र निर्यात ऋण के अनुसार स्वतः बदलती हैं और इसमें वार्षिक वृद्धि/गिरावट बैंक द्वारा सुविधा के वास्तविक उपयोग में बढ़ोतरी/कटौती दर्शाती है। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार ईसीआर के उपयोग की राशि ₹ 188.82 बिलियन थी जबकि 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹ 295.51 बिलियन थी।

सी) नाबार्ड को ऋण और अग्रिम

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार इस प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया गया है।

डी) अन्य को ऋण और अग्रिम

इस मद के शेष में वे ऋण आते हैं जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और प्राथमिक व्यापारियों को दिए गए थे। ये ऋण क्रमशः ₹50 बिलियन ₹ 18.5, बिलि. और ₹0.1 बिलि. थे। सिडबी को नवंबर 2013 में दी गई सुविधा एक वर्ष के लिए थी जिसमें 90 दिन की अवधि और मासिक अंतरालों पर देय तत्काल रूप से पूर्ववर्ती 14 दिवसीय मीयादी रिपो दर से संबंधित कट-ऑफ दर लागू थी। एनएचबी के लिए दी गई सुविधा तेरह वर्ष पहले दी गई थी और इसकी दर 6 प्रतिशत थी जो कि छमाही आधार पर देय थी। चलनिधि की सुविधा मुख्य रूप से पीडीज़ को उपलब्ध कराई जाती है ताकि उनके पास प्राथमिक नीलामियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त रिज़र्व उपलब्ध हो सके। इस सुविधा के अंतर्गत उपयोगिता में इजाफा हुआ जो मुख्य रूप से भारत सरकार के उधार कार्यक्रम में हुई वृद्धि के कारण था।

vi) अन्य आस्तियां

बैंकिंग विभाग की 'अन्य आस्तियों' (सारणी XII.10) में स्थायी आस्तियां (मूल्यह्रास के बाद शेष राशि), विदेशों में धारित स्वर्ण (265.49 मेट्रिक टन), उपचित आय (मुख्य रूप से बैंकों के देशी और विदेशी निवेशों पर तुलन पत्र तैयार करने की तारीख को उपचित ब्याज आय), स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए) तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों के घटक मुख्य रूप से स्टॉफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए प्रस्तावित मार्जिन, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि और अंतर-कार्यालयीन लेनदेन का प्रतिनिधित्व करने वाली (भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य लेखा के जरिए) मार्गस्थ मदें इत्यादि होते हैं।

सारणी XII.10: अन्य आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण		30 जून की स्थिति	
		2013	2014
1		2	3
I.	अचल आस्तियां (संचित मूल्यह्रास को घटाकर)	4.50	1.07
II.	स्वर्ण	612.54	590.24
III.	उपचित आय (ए+बी)	223.88	222.46
	क. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	2.98	0.66
	ख. अन्य मदों पर	220.90	221.80
IV.	स्वैप परिशोधन खाता	0.00	59.30
V.	वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन	0.00	42.85
VI.	विविध	13.64	17.45
	कुल	**854.56**	**933.37**

स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

स्वैप के मामले में, तकनीकी समिति II की सिफारिशों के आधार पर, जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रिपो है, वायदा संविदा दर को उस दर से, जिसके आधार पर संविदा किया गया है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जा रहा है और इसे स्वैप परिशोधन खाते में धारण किया गया है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार खाता शेष ₹ 59.30 बिलियन है।

वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

वायदा संविदा के संबंध में तकनीकी समिति II द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार मध्यक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में की

सारणी XII.11: सकल आय

(₹ बिलियन)

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
ए. विदेशी स्रोत					
ब्याज, बट्टा, विनिमय	251.02	211.5	198.10	207.46	197.68
बी. देशी स्रोत					
(i) ब्याज	66.47	150.32	323.39	523.06	435.38
(ii) अन्य अर्जन	11.35	8.88	10.27	13.05	13.11
कुल: (i) + (ii)	77.82	159.20	333.66	536.11	448.49
सी. सकल आय (ए+बी)	328.84	370.70	531.76	743.58	646.17
डी. आकस्मिकता आरक्षित निधि में अंतरण	51.68	121.67	246.77	262.47	0
ई. आस्ति विकास आरक्षित निधि में अंतरण	5.50	12.35	23.48	25.47	0
एफ. कुल आय (सी-डी-ई)	271.66	236.68	261.51	455.64	646.17

गई वायदा संविदा के मामले में इस खाते में दर्ज एमटीएम लाभों को अंतर्निहित संविदा की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाना चाहिए। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार खाता शेष ₹42.85 बिलियन था। 'अन्य आस्तियों' का मूल्य ₹ 854.56 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2014 को ₹ 933.37 बिलियन हो गया जो मुख्य रूप से निष्क्रिय बाजार स्वैप के परिशोधन तथा उक्त पैराग्राफ में बताए गए अनुसार वायदा संविदा के पुनर्मूल्यन के बाद हुए एमटीएम लाभों के कारण है।

आय एवं व्यय का विश्लेषण

आय

XII.10 रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित स्रोतों से आय प्राप्त होती है- (i) ब्याज प्राप्तियां, (ii) डिस्काउंट, (iii) विनिमय, (iv) कमीशन तथा (v) अन्य आय जिनमें प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ अथवा हानि तथा जरूरत महसूस न किए गए प्रावधान। इनमें, ब्याज से प्राप्त आय का हिस्सा प्रमुख होता है तथा अन्य स्रोतों जैसे-डिस्काउंट, विनिमय, कमीशन तथा अन्य से प्राप्त होने वाली आय का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहता है। सकल आय तथा देशी और विदेशी स्रोतों से पिछले 5 वर्षों में हुए अर्जन का ब्यौरा सारणी XII.11 में दिया गया है।

विदेशी स्रोतों से अर्जन

XII.11 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय में मुख्यत: विदेशी मुद्रा आस्तियों के नियोजन से प्राप्त होने वाली आय शामिल होती है। यह आय 2012-13 के ₹ 207.46 से ₹ 9.78 बिलियन (4.7 प्रतिशत) घटकर 2013-14 में ₹ 197.68 बिलियन रह गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2012-13 के 1.45 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में कम अर्थात् 1.21 प्रतिशत रही जो वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्याज की दर कम रहने की वजह से है (सारणी XII.12)।

सारणी XII.12 : विदेशी स्रोतों से अर्जन

(₹ बिलियन)

मद	को समाप्त वर्ष		घट-बढ़	
	30 जून 2013	30 जून 2014	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	15,247.68	17,579.52	2,331.84	15.29
औसत विदेशी मुद्रा आस्तियां	14281.58	16,368.93	2,087.35	14.62
विदेशी मुद्रा आस्तियों से अर्जन (ब्याज, बट्टा, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)*	207.46	197.68	(-) 9.78	(-) 4.71
औसत विदेशी मुद्रा आस्तियों के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	1.45	1.21	-	-

* वर्ष 2013-14 के दौरान आय में स्वैप प्रीमियम की ₹ 59.30 बिलियन राशि शामिल हैं।

देशी स्रोतों से आय

XII.12 देशी स्रोतों से निवल आय 2012-13 के ₹536.11 बिलियन की तुलना में 2013-14 में 16.3 प्रतिशत घटकर ₹448.49 बिलियन रह गई। देशी आय की विभिन्न मदों का विस्तृत ब्यौरा सारणी XII.13 में दिया गया है। रुपया प्रतिभूतियों के कुल धारण में कमी (सारणी XII.8) के बावजूद कूपन प्राप्तियों से आय 2013-14 के ₹470.53 बिलियन की तुलना में 2012-13 में बढ़कर ₹408.68 बिलियन हो गई क्योंकि वर्ष में ₹302.83 बिलियन की सरकारी प्रतिभूति की खरीद की गई। तथापि, समग्र गिरावट मुख्यतया, रुपया प्रतिभूतियों पर ह्रास में 2012-13 के ₹55.38 बिलियन की तुलना में 2013-14 में ₹480.45 बिलियन की वृद्धि (क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2013-14 में मुनाफा सामान्यतः दृढ़ हो गया था) के कारण आई।

XII.13 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) से निवल ब्याज आय 2012-13 के ₹64.90 बिलियन से बढ़कर 2013-14 में ₹76.77 बिलियन हो गई जिसके प्रमुख कारण हैं (i) जुलाई 2013 में 200 आधार अंक से एमएसएफ दर में वृद्धि और (ii) एलएएफ उधार का एक महत्वपूर्ण भाग वर्तमान रिपो दर से उच्चतर दरों पर मीयादी रिपो व्यवस्था के माध्यम से दिया जाना।

XII.14 जुलाई 2013-जून 2014 की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट (डब्ल्यूएमए/ओडी) के प्रति केन्द्र से प्राप्त ब्याज आय 2012-13 के दौरान उसी अवधि के लिए ₹0.67 बिलियन की तुलना में बढ़कर ₹3.22 बिलियन हो गयी। पिछले वर्ष के 27 दिनों के अर्थोपाय अग्रिम लिये जाने और कोई ओवरड्राफ्ट न लिये जाने की तुलना में केन्द्र द्वारा वर्ष के दौरान 52 दिन अर्थोपाय अग्रिमों तथा 10 दिनों का ओवरड्राफ्ट लिये जाने के कारण केंद्र द्वारा 2013-14 में डब्ल्यूएमए/ओडी का मासिक औसत उपयोग ₹299.4 बिलियन था जबकि 2012-13 में यह ₹98.1 बिलियन था।

सारणी XII.13 : देशी स्रोतों से अर्जन

(₹ बिलियन)

मद	को समाप्त वर्ष		घट-बढ़	
	30 जून 2013	30 जून 2014	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
देशी आस्तियां	8,659.35	8,664.04	4.65	0.05
देशी आस्तियों का साप्ताहिक औसत	**7,724.84**	**8,694.77**	**969.95**	**12.56**
अर्जन (I + II+III)	**536.11**	**448.49**	**(-)87.62**	**(-)16.34**
I. ब्याज तथा अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित आय				
i) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	85.47	331.37	245.90	287.70
ii) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	64.79	59.02	(-)5.77	(-)8.90
iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	0.11	17.45	17.34	15763.64
iv) देशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	408.68	470.53	61.85	15.13
v) मूल्यह्रास	55.38	480.45	425.07	767.55
कुल (i+ii+iii+iv-v)	**503.67**	**397.92**	**(-)105.75**	**(-)21.00**
II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार को (केन्द्र और राज्य)	1.26	3.88	2.63	208.73
ii) बैंक और वित्तीय संस्थानों को	17.65	33.10	15.45	87.54
iii) कर्मचारियों को	0.48	0.48	0.00	0.0
कुल (i+ii+iii)	**19.39**	**37.46**	**18.07**	**93.19**
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	0.28	0.01	(-)0.27	(-)96.43
ii) विनिमय	-	-	-	-
iii) कमीशन	11.13	12.57	1.44	12.94
iv) वसूल किया गया किराया, बैंक की संपत्तियों की बिक्री पर लाभ या हानि और प्रावधान जिनकी आगे जरूरत नहीं है	1.64	0.53	(-)1.12	(-)68.29
कुल (i+ii+iii+iv)	**13.04**	**13.11**	**0.06**	**0.46**

XII.15 जहाँ तक राज्यों की बात है, अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट से प्राप्त ब्याज 2012-13 के ₹0.59 बिलियन की तुलना में जुलाई 2013-जून 2014 के लिए ₹0.66 बिलियन था। यह वृद्धि राज्यों द्वारा 2012-13 के ₹54.47 बिलियन की तुलना में 2013-14 में ₹58.34 बिलियन के अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट का थोड़ा सा अधिक मासिक औसत उपयोग किए जाने की वजह से थी।

व्यय

XII.16 रिज़र्व बैंक ने अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने में अनेक प्रकार के व्यय किए हैं जैसे - एजेंसी प्रभार/कमीशन, प्रतिभूति मुद्रण प्रभार, खज़ाना के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय। रिज़र्व बैंक का कुल व्यय 4.9 प्रतिशत कम हो गया है जो 2012-13 के 125.49 बिलियन रुपये से घटकर 2013-14 में 119.34 बिलियन रुपये रह गया है। व्यय को मोटे तौर पर तीन उप-समूहों में विभाजित किया गया है, अर्थात् ब्याज भुगतान, स्थापना व्यय और स्थापना से इतर व्यय। प्रमुख व्यय-शीर्षों के अंतर्गत व्यय का ब्योरा सारणी XII.14 में दिया गया है।

i) ब्याज भुगतान

वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान में शामिल है - कर्मचारी कल्याण निधि अर्थात् चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ) और डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि में छमाही आधार पर ब्याज की अदायगी द्वारा बैंक का योगदान, जो 2012-13 के 0.03 बिलियन रुपये से थोड़ा सा बढ़कर 2013-14 में 0.04 बिलियन रुपये हो गया है।

ii) स्थापना व्यय

स्थापना व्यय 26.2 प्रतिशत कम हो गया है जो वर्ष 2012-13 के 58.59 बिलियन रुपये से घटकर 2013-14 में 43.24 बिलियन रुपये रह गया। यह कमी इसलिए हुई है कि उपदान एवं अधिवर्षिता निधि से उपचित देयताओं और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अन्य निधि में अंशदान में कमी हो गई है। यह अंशदान पिछले वर्ष 35.32 बिलियन रुपये था जो 2013-14 में 18.09 बिलियन रुपये रह गया। बैंक की निवेश राशि भविष्य निधि, उपदान एवं अधिवर्षिता निधि और छुट्टी नकदीकरण निधि की राशियों के समतुल्य राशि निधियों के लिए बैंक की निवेश राशि के रूप में अलग से रखी गयी है। भविष्य निधि और उपदान तथा अधिवर्षिता निधि को बैंक में 'जमाराशि' के रूप में रखा जाता है। छुट्टी नकदीकरण देयता को 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत शामिल किया गया है।

iii) स्थापना से इतर व्यय

ए) एजेंसी प्रभार

चार प्रकार के व्यय 'एजेंसी प्रभार' के रूप में लिए जाते हैं जिनका ब्योरा सारणी XII.15 में दिया गया है।

सारणी XII.14: व्यय

(₹ बिलियन)

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
I. ब्याज भुगतान	0.01	0.55	0.59	0.03	0.04
II. स्थापना	19.87	23.01	29.93	58.59	43.24
III. गैर-स्थापना	64.15	62.99	70.85	66.87	76.06
जिसमें से :					
(ए) एजेंसी प्रभाग/कमीशन	28.55	30.12	33.51	28.07	33.25
(बी) प्रतिभूति मुद्रण प्रभार	27.54	23.76	27.04	28.72	32.14
(सी) अन्य	8.06	9.11	10.3	10.08	10.67
जोड़ (I+II+III)	84.03	86.55	101.37	125.49	119.34

सारणी XII.15: एजेन्सी प्रभार

(₹ मिलियन)

	2012-13	2013-14
1	2	3
सरकारी लेनदेनों पर एजेन्सी कमीशन	27,264.39	27,813.97
प्राथमिक व्यापारियों को भुगतान किया गया हामीदारी कमीशन	218.65	4,811.98
विविध (राहत/बचत बांडों के लिए बैंकों को दिया गया हैंडलिंग प्रभार के भुगतान का अंशदान)	1.11	0.42
बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षक आदि को प्रदत्त शुल्क	582.38	628.11
कुल	**28,066.53**	**33,254.47**

बैंकों केा अदा किया गया एजेंसी कमीशन

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये शाखाएं सरकारी फुटकर लेनदेन के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है जिसे 01 जुलाई 2012 से संशोधित किया गया है। सरकारी लेन-देन करने के लिए इन बैंकों को वर्ष 2013-14 में 27.81 बिलियन रुपये कमीशन अदा किया गया जो, इसकी तुलना में वर्ष 2012-13 में 27.26 बिलियन रुपये था, अर्थात् इसमें 2.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे ज्ञात होता है कि सरकारी कारोबार की मात्रा बढ़ गई है।

प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को अदा किया गया हामीदारी कमीशन शुल्क

हामीदारी कमीशन पर व्यय अत्यधिक बढ़ गया क्योंकि वर्ष की पहली छमाही के दौरान बाज़ार की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए प्राथमिक व्यापारियों ने हामीदारी कमीशन की ऊंची दरें उदधृत की थीं।

बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क

रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के एक छोटे से हिस्से के प्रबंधन का कार्य बाहरी आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को सौंपा गया था जिसके लिए उन्हें 2013-14 में 0.63 बिलियन रुपये शुल्क अदा किया गया जो वर्ष 2012-13 में 0.58 बिलियन रुपये था।

बी) प्रतिभूति मुद्रण

प्रतिभूति मुद्रण प्रभार (प्राथमिक रूप से करेंसी नोट के मुद्रण के लिए) पर हुए व्यय में 11.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वर्ष 2012-13 के 28.72 बिलियन रुपये से बढ़कर 2013-14 में 32.14 बिलियन रुपये हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से बैंक नोट फार्मों की कुल आपूर्ति में 15.14 प्रतिशत की वृद्धि तथा भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लिमि. (बीआरबीएनएमपीएल) द्वारा करेंसी नोटों की आपूर्ति के लिए थोड़ी सी बढ़ी हुई दर उदधृत करने के फलस्वरूप हुई।

सी) अन्य

अन्य स्थापना से इतर व्यय जैसे खज़ाना के प्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखा-परीक्षा, शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं जिसमें वृद्धि 10.08 बिलियन रुपये से बढ़कर 10.67 बिलियन रुपये हो गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान लेखा-परीक्षा शुल्क एवं व्यय

सारणी XII.16: सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां

(₹ बिलियन)

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
ए) सकल आय	328.84	370.70	531.76	743.58	646.17
बी) आरक्षित निधि में अंतरण (i+ii)	57.18	134.02	270.25	287.94	0.00
(i) आकस्मिकता आरक्षित निधि	51.68	121.67	246.77	262.47	0.00
(ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि	5.50	12.35	23.48	25.47	0.00
सी) निवल आय (ए-बी)	271.66	236.68	261.51	455.63	646.17
डी) कुल व्यय	84.03	86.55	101.37	125.49	119.34
ई) निवल प्रयोज्य आय (सी-डी)	187.63	150.13	160.14	330.14	526.83
एफ) निधियों में अंतरण*	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
जी) सरकार को अंतरित अधिशेष (ई-एफ)	187.59	150.09	160.10	330.10	526.79
सकल आय में कुल व्यय घटाकर प्रतिशत के रूप में सरकार को अधिशेष का अंतरण	76.6	52.8	37.2	53.4	99.99

* : पांच वर्ष में से प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन रुपये की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि को अंतरित की गयी।

तथा सांविधिक लेखा-परीक्षा शुल्क एवं व्यय, संगामी लेखा परीक्षा तथा बैंक में विभिन्न प्रयोजनों से की गई विशेष लेखापरीक्षा संबंधी व्यय पर ₹24.22 मिलियन अदा किए गए। विविध व्यय में विभिन्न अकादमी प्रशिक्षण संस्थान आदि को दिए गए अंशदान शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय प्रवृत्ति XII.16 में दी गई है (पिछले वर्ष के आंकड़ों का, आवश्यकतानुसार समूहन/वर्गीकरण पुनः किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप हो सकें)।

लेखा-परीक्षक

बैंक के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2013-14 के लेखा की लेखा-परीक्षा मैसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, मुंबई और मैसर्स सीएनके एंड एसोसिएट, एलएलपी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षक के रूप में और मैसर्स एस.के. मेहता एंड कंपनी, नई दिल्ली, मैसर्स पी.के. एफ. श्रीधर एंड संतनम एंड कंपनी, चेन्नै तथा मैसर्स लोढा एंड कं., कोलकता द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक के रूप में की गई।